# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहकम सिंह सिनसिनवार, आर.ए.एस.

(जीसीएमएस नं. 2021/26)

प्रकरण सख्याः– 04/2021(अपील)

दायर दिनांकः– 30/06/2021

निर्णय दिनांकः– 25/11/2025

अनवान

1. भैरूसिंह पिता हजारीसिंह जाति रावत निवासी आठोलिया तहसील भीम जिला राजसमन्द
2. लाखुसिंह पिता हजारीसिंह जाति रावत निवासी आठोलिया तहसील भीम जिला राजसमन्द
3. नोलसिंह पिता गोदसिंह जाति रावत निवासी आठोलिया तहसील भीम जिला राजसमन्द
4. आसुसिंह पिता देवीसिंह जाति रावत निवासी आठोलिया तहसील भीम जिला राजसमन्द
5. अमरसिंह पिता वेणसिंह जाति रावत निवासी आठोलिया तहसील भीम जिला राजसमन्द

अपीलाण्टगण

बनाम

1. कमला पुत्री मिठुसिंह पत्नी दीपसिंह जाति रावत निवासी आठोलिया तहसील भीम जिला राजसमन्द हाल निवासी कुकड़ा मजरा डुंगो का वाला तहसील भीम जिला राजसमन्द
2. कसूदेवी पुत्री देवीसिंह पत्नी सुलतानसिंह जाति रावत निवासी ग्राम आठोलिया तहसील भीम जिला राजसमन्द हाल निवासी थानेटा तहसील भीम जिला राजसमन्द
3. गीता पुत्री मीठुसिंह पत्नी तेजसिंह जाति रावत निवासी आठोलिया तहसील भीम जिला राजसमन्द हाल निवासी कुकड़ा मजरा डुंगो का वाला तहसील भीम जिला राजसमन्द
4. घीसीदेवी पुत्री वेणसिंह पत्नी पूरणसिंह जाति रावत निवासी आठोलिया तहसील भीम जिला राजसमन्द हाल निवासी बड़ो की रेल तहसील भीम जिला राजसमन्द
5. घीसासिंह पिता लच्छुसिंह जाति रावत निवासी आठोलिया तहसील भीम जिला राजसमन्द
6. टीकीदेवी पुत्री वेणसिंह जाति रावत निवासी आठोलिया तहसील भीम जिला राजसमन्द हाल निवासी बड़ो की रेल तहसील भीम जिला राजसमन्द
7. नेनूदेवी पत्नी वेणसिंह जाति रावत निवासी आठोलिया तहसील भीम जिला राजसमन्द

उपखण्ड अधिकारी देवगढ
जि. राजसमन्द (राज.)

8. नोलसिंह पिता गोदसिंह जाति रावत निवासी आठोलिया तहसील भीम जिला राजसमन्द
9. पुनीदेवी पुत्री वेणसिंह पत्नी रणजीतसिंह जाति रावत निवासी आठोलिया तहसील भीम जिला राजसमन्द हाल निवासी कूकडा मजरा राजारेल तहसील भीम जिला राजसमन्द
10. पर्वतीदेवी पत्नी मीठुसिंह जाति रावत निवासी आठोलिया तहसील भीम जिला राजसमन्द
11. बदामी पुत्री भूरसिंह पत्नी लाडुसिंह जाति रावत निवासी आठोलिया तहसील भीम जिला राजसमन्द हाल निवासी कूकडा मजरा जालपा तहसील भीम जिला राजसमन्द
12. मांगुसिंह पिता दूदसिंह जाति रावत निवासी आठोलिया तहसील भीम जिला राजसमन्द
13. मोहनीदेवी पुत्री वेणसिंह पत्नी मोतीसिंह जाति रावत निवासी आठोलिया तहसील भीम जिला राजसमन्द हाल निवासी कूकडा मजरा राजारेल तहसील भीम जिला राजसमन्द
14. मोहनसिंह पिता लच्छुसिंह जाति रावत निवासी मालकमालिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
15. राजूसिंह पिता मीठुसिंह जाति रावत निवासी आठोलिया तहसील भीम जिला राजसमन्द
16. राधादेवी पुत्री देवीसिंह पत्नी अनोपसिंह जाति रावत निवासी आठोलिया तहसील भीम जिला राजसमन्द हाल निवासी कालिजर तहसील ब्यावर जिला ब्यावर
17. वीरमसिंह पिता भूरसिंह जाति रावत निवासी आठोलिया तहसील भीम जिला राजसमन्द
18. हीरीदेवी पुत्री वेणसिंह पत्नी नारायणसिंह जाति रावत निवासी आठोलिया तहसील भीम जिला राजसमन्द हाल निवासी कामला तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
19. हमीरसिंह पिता लच्छुसिंह जाति रावत निवासी मालकमालिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
20. अहमदसिंह पिता गिरधारीसिंह जाति रावत निवासी आठोलिया तहसील भीम जिला राजसमन्द
21. लालसिंह पिता गिरधारीसिंह जाति रावत निवासी आठोलिया तहसील भीम जिला राजसमन्द
22. हमीरसिंह पिता गिरधारीसिंह जाति रावत निवासी आठोलिया तहसील भीम जिला राजसमन्द
23. चुनसिंह पिता गिरधारीसिंह जाति रावत निवासी आठोलिया तहसील भीम जिला राजसमन्द
24. मूमीदेवी पत्नी गिरधारीसिंह जाति रावत निवासी आठोलिया तहसील भीम जिला राजसमन्द

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ
जि. राजसमन्द (राज.)

25. प्रकाशसिंह पिता घीसासिंह जाति रावत निवासी आठोलिया तहसील भीम जिला राजसमन्द
26. चिरागसिंह पिता घीसासिंह जाति रावत निवासी आठोलिया तहसील भीम जिला राजसमन्द
27. टमूदेवी पत्नी घीसासिंह जाति रावत निवासी आठोलिया तहसील भीम जिला राजसमन्द
28. सरंपच ग्राम पंचायत ताल।

रेस्पोडेन्टगण

**अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् निरस्त कराने नामान्तरकरण संख्या 110 दिनांक 28/11/2014 ग्राम पीली का चौड़ा ग्राम पंचायत ताल**

**: : निर्णय : :**

अपीलाण्टगण ने जरिये अधिवक्ता के अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् निरस्त कराने नामान्तरकरण संख्या 110 दिनांक 28/11/2014 ग्राम पीली का चौड़ा ग्राम पंचायत ताल पेश किया जिसका संक्षेप में विवरण है कि वादग्रस्त आाजीयात ग्राम पीली का चौड़ा पटवार हल्का ताल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द आराजी संख्या 494, 493, 495, 496, 497, 498, 500, 499, 506, 507, 508 कुल किता 19 कुल रकबा 3.9400 हैक्टेयर भूमि संबंधित है। उपरोक्त भूमि पर अपीलान्टगण पूर्व की जमाबन्दी में दर्ज हिस्से के अनुसार शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। अपीलान्टगणों के शामलाती खातेदारी भूमि होने से सह खातेदार चतरा पिता कला व गोदा पिता कला की मृत्यु हो जाने से एवं चतरा के ला औलाद मृत्यु हुई व गोदसिंह के पुत्र नोलसिंह वर्तमान में जीवित है की विरासत का नामान्तरकरण खोलते समय पटवारी हल्का ने जॉच नही कर सभी रेस्पोडेन्ट के नाम विरासत का नामान्तरकरण खोलने की भारी भूल की है। गोदा व नोला पिता कला की विरासत का नामान्तरकरण खोलते समय पटवारी हल्का ने कोई जांच नही कर मनमकसूद तरीके से उनके रेस्पोडेण्टगण को वारिस बना दिया गया जिससे अपीलन्टगणों का 1/5 हिस्सा तो पूर्व में था एवं चतरा के ला औलाद मृत्यु होने से उनके हिस्सा 1/5 का चारो भाईयों में बराबर 1/20 प्रत्येक का हिस्सा बनता है वह अपीलान्टगणों का 1/5 हिस्से के साथ 1/20 भी शामिल होता है जो नहीं किया गया इस प्रकार अपीलान्टगणों वास्तविक हिस्से गलत दर्ज हो गये। तत्कालीन पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण दर्ज करते समय चतरा व गोदा के बजाय राजूसिंह गीता कमला पिता मीठूसिंह मुस्समात पार्वतीदेवी बेबा मीठूसिंह, वीरमसिंह बदामीदेवी पिता भूरसिंह, भैरूसिंह लखुसिंह फेफीदेवी पिता हजारीसिंह , आसूसिंह राधादेवी कसुदेवी पिता देवीसिंह, अमरसिंह पुनीदेवी घीसी टीकी हीरी मोहनदेवी पिता वैणसिंह, नैनुदेवी बैवा वैणसिंह, नोलसिंह पिता गोदसिंह, मांगुसिंह पिता दूदसिंह कुंपसिंह पिता कलासिंह हिस्सा 2/5 के नाम पर दर्ज कर करने की गम्भीर लापरवाही की है। नये सेटलमेन्ट की वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2076 के मे भी हम सभी हिस्सेदारों के हिस्से गलत दर्ज

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ
जि. राजसमन्द (राज.)

कर दिये गये है। चतरा व गोदा की विरासत करते समय सही खातेदारों के हिस्से का अंकन गलत कर दिया है। मृतक चतरा के ला औलाद फोत होने से सभी वारीसान चारो भाईयों का हिस्सा वर्तमान जमावन्दी में निम्न प्रकार होना चाहिये था। गिरधारीसिंह का हिस्सा विक्रय कर देने से जगरूप पिता जीतमल महाजन हिस्सा 1/5 तो सही है एवं मानसिंह का 1/5 हिस्से का विक्रय हमीरसिंह धीरासिंह मोहनसिंह पिता लच्छुसिंह को कर दिया गया। भूरसिंह के वारिसान मिठूसिंह मृतक के वारिसान राजूसिंह पिता मिठूसिंह पार्वतीदेवी पत्नी मिठूसिंह कमला गीता पुत्री मिठूसिंह हिस्सा 1/60 विरमसिंह पिता भूरसिंह हिस्सा 1/60 वदामी पुत्री भूरसिंह हिस्सा 1/60 होना चाहिये मृतक गोदा के वारीसान का कुल हिस्सा 1/4 मे से उनके पुत्र हजारीसिंह का हिस्सा 1/16 नोलसिंह का 1/16 देवीसिंह का 1/16 वैणसिंह का 1/16 इनकी मृत्यु होने से मृतक हजारीसिंह के वारीसान में भैरूसिंह लाखुसिंह फेफी पिता हजारीसिंह हिस्सा 1/16, मृतक देवीसिंह के वारिसान आसूसिंह राधादेवी कसुदेवी पिता देवीसिंह हिस्सा 1/16 मृतक वैणसिंह के वारीसान अमरसिंह पुनीदेवी धीसीदेवी मोहनीदेवी टीकीदेवी हीरीदेवी पिता वैणसिंह हिस्सा 1/16 नोलसिंह जीवित है उनका हिस्सा 1/16 मांगूसिंह ने पूर्व ने अपना 1/5 हिस्सा वेच देने से अब मृतक चतरा के हिस्से में से इनका पुनः 1/20 रहेगा। गिरधारीसिंह पिता कूंपसिंह का मृतक चतरा के हिस्से में से 1/20 हिस्सा पुनः आयेगा। अपील के कलम संख्या 04 में वर्णित हिस्सो व नामों के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 110 दर्ज करना चाहिये था जो नहीं किया गया तत्कालीन पटवारी हल्का विना जांच नाम खोलने की गम्भीर लापरवाही की है। रेस्पोडेन्ट ने पटवारी हल्का से मिलीभगत कर अपीलान्टगण जीवित होते हुए भी उनके खातेदारी भूमि में हिस्से व नाम गलत दर्ज कर दिये गये नामान्तरकरण ओथेरटी ने नामान्तरकरण पारित करते समय मृतक के वारिसान की जॉच नही कर नामान्तरकरण खुलवा दिया अपीलान्टगणों को इस नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय सूचना भी नहीं जिससे उक्त नामान्तरकरण कानूनन अवैध एवं प्रभाव शून्य है अपीलान्ट को दिनांक 25/01/2021 को रेकॉर्ड की नकल लेने एवं वाद में कानूनी सलाह प्राप्त करने से जानकारी उत्पन्न हुई। अपीलान्टगणें की यह अपील उसके दादा की विरासत से उसके हिस्से जमावन्दी के अनुसार हिस्से को रिकॉर्ड में दर्ज कराने हेतु पेश की गयी है। अपील में अपीलान्ट को सूचित नहीं करने से अपीलान्ट की अपील मियाद अवधि से वाधित नहीं है। किन्तु अपीलाण्ट यह अपील नामान्तरकरण पारित करने एवं उसकी अपील हेतु मियाद की दिनांक 25.01.2021 से आज दिनांक पेश होने अपील तक की मियाद माफी चाहते हुए पेश की जा रही है इस हेतु मियाद माफी का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र संलग्न अपील है। हमारे दादा चतरा व गोदा का उक्त नामान्तरकरण निर्णित होने की जानकारी नहीं हुई और ना हीं नामान्तरकरण ओथेरेटी ने हमारे या हमारे को कोई जानकारी नहीं दी हमारे पीठ पीछे खुला नामान्तरकरण की कोई अपील की मियाद नहीं होती है। उक्त नामान्तरकरण की जानकारी पटवारी हल्का से ऋण लेने हेतु नकले निकलवाने गये जव हुई। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ जिला-राजसमन्द (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ
जि. राजसमन्द (राज.)

पिली का चौड़ा नामान्तरकरण संख्या 110 दिनांक 28.11.2014 को निरस्त करार दिया जाकर अपीलान्टगणों को उसके दादा व पिता की खातेदारी भूमि में निम्न प्रकार हिस्सा दर्ज करवाने की मृतक चतरा के ला औलाद फोत होने से सभी वारिसान चारों भाईयों का हिस्सा वर्तमान जमाबन्दी में निम्न प्रकार होना चाहिये था। गिरधारीसिंह का हिस्सा विक्रय कर देने से जगरूप पिता जीतमल महाजन हिस्सा 1/5 तो सही है एवं मानसिंह का 1/5 हिस्से का विक्रय हमीरसिंह घीसासिंह मोहनसिंह पिता लच्छुसिंह को कर दिया गया। भूरसिंह के वारिसान मिठूसिंह मृतक के वारिसान राजूसिंह पिता मिठूसिंह पार्वतीदेवी पत्नी मिठूसिंह कमला गीता पुत्री मिठूसिंह हिस्सा 1/60 विरमसिंह पिता भूरसिंह हिस्सा 1/60 बदामी पुत्री भूरसिंह हिस्सा 1/60 होना चाहिये मृतक गोदा के वारिसान का कुल हिस्सा 1/4 में से उनके पुत्र हजारीसिंह का हिस्सा 1/16 नौलसिंह का 1/16 देवीसिंह का 1/16 वैणसिंह का 1/16 इनकी मृत्यु होने से मृतक हजारीसिंह के वारिसान में भैरूसिंह लाखुसिंह फेफी पिता हजारीसिंह हिस्सा 1/16 मृतक देवीसिंह के वारिसान आसूसिंह राधादेवी कसुदेवी पिता देवीसिंह हिस्सा 1/16 मृतक वैणसिंह के वारिसान अमरसिंह पुनीदेवी घीसीदेवी मोहनीदेवी टीकीदेवी हीरीदेवी पिता वैणसिंह नेनुदेवी पत्नी वैणसिंह हिस्सा 1/16 नौलसिंह जीवित है उनका हिस्सा 1/16 मांगूसिंह ने पूर्व में अपना 1/5 हिस्सा बेच देने से अब मृतक चतरा के हिस्से में से इनका पुनः 1/20 रहेगा। गिरधारीसिंह पिता कूंपसिंह को मृतका चतरा के हिस्से में से 1/20 हिस्सा पुनः आयेगा उसी अनुसार सभी खातेदार का व अपीलान्टगणों के नाम पर व हिस्सों में भूमि दर्ज करने का निर्णय प्रदान करने की कृपा करावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 28 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

प्रकरण में धारा 05 मियाद अधिनियम पर बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया।

मियाद के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने आर0आर0डी0 1998 पेज 319 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अगर प्रकरण गुणावगुण पर मजबूत होता है तो उसे केवल मियाद के आधार पर निर्णित नहीं कर गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये, जिससें यह प्रमाणित किया गया है कि–

> Limitation Act, 1963, S.5 Dismissal of Appeal by lower appellate court on ground of limitation without looking into merits of the case Legality of Held, now must be taken as well as settled principle of law that before rejecting application u/s.5, and dismissing appeal as time barred, Courts of law are required to put a glance as a condition precedent on merits of appeals and unless appeals are found be hopelessly devoid of merits, ordinarily efforts should be made to decide appeals on merits.

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ
जि. राजसमन्द (राज.)

चुंकि हस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तानुसार मियाद का उपशमन किया जाकर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित है। परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि पक्षकरों के अधिकारों को नष्ट नहीं करे। ये यह देखने के लिये अभिप्रेरित है कि पक्षकार विलम्बकारी चालों का सहारा न ले अपितु शीघ्रता से अपना उपचार मांगे। विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र गुणवत्ता के आधार पर स्वीकार किया जाना चाहिए। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाता है।

अपीलाण्ट अधिवक्ता की बहस सुनी गई गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

नामान्तरण के प्रावधानः–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135(1):– ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा ऐसे तथ की जानकारी होने पर तहसीलदार ऐसी जांच करेगा जो आवश्यक प्रतीत हो तथा निर्विकार मामलों में यदि उत्तराधिकार, अन्तरण या अन्य अर्जन हुए प्रतीत हों तो उन्हें वार्षिक रजिस्टरों में अभिलिखित करेगा।

इसी क्रम में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 का विश्लेषण किया जाना समीचीन हैः–

धारा 40 के अनुसारः– आसामियों का उत्तराधिकार

Succession to tenants When a tenant dies intestate, his interest in his holding shall devolve in accordance with the personal law to which he was subject at the time of his death.

"जब आसामी अन्तिमेच्छा –पत्र छोड़े बिना मृत्यु को प्राप्त हो जाय तो उसके भूमि–क्षेत्र में उसके हित उसके उस व्यक्तिगत कानून के अनुसरण में अवतरित होंगे जिसके कि वह अपनी मृत्यु के समय अधीन था।"

उक्त प्रावधानों के तहत आक्षेपित नामान्तरण संख्या 110 निर्णय दिनांक 28/11/2014 का अवलोकन किया जाना उचित होगाः–

उक्त नामान्तरकरण विरासती दर्ज हुआ है, विरासती नामान्तरकरण दर्ज करते समय राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेखित नियम 1957) के प्रावधानों का उल्लेख करना आवश्यक हैः– उक्त नियमों में नियम 119 से नियम 144 तक विस्तृत विवरण दिया गया हैः–

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ
जि. राजसमन्द (राज.)

नियम 121 सामान्य हिदायतें:—

उक्त नियम में नामान्तरणकरण दर्ज करते समय आवश्यक कार्यवाही/प्रक्रिया का वर्णन किया गया है और सम्बन्धित हितवद्ध पक्षकारों को सुनवाई/बयान इत्यादि का विवरण दिया गया है—

उक्त नियमों के परिप्रेक्ष्य में आक्षेपित नामान्तरकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि जैसा कि अपीलान्टगण ने अपील मीमो में यह अंकित किया है कि मृतक चतरा पिता कला एवं गोदासिंह पिता कला की मृत्यु के पश्चात् विरासती नामान्तरकरण भरते समय वारिसान का हिस्सा व वारिसानों के नाम गलत दर्ज कर दिये। इसलिए उसका पक्ष सुने बिना मृतक चतरा पिता कला एवं गोदासिंह पिता कला की भूमि में अपीलाण्टगण के हिस्से एवं नाम को गलत दर्ज किया गया है जबकि विरासती नामान्तरकरण में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1955 के अन्तर्गत सभी वारिसान समान अधिकार प्रदान किए गए है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, अधिवक्ता की वहस के उपरान्त हमारे द्वारा उपरोक्त प्रकरण पर मनन किया गया कि ग्राम पंचायत नराणा द्वारा आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 110 निर्णय दिनांक 28/11/2014 में नामान्तरणकरण दर्ज करने के संबंध में दिए गए विधिक प्रावधान एवं कानूनी दिशा—निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में अधिनस्थ ग्राम पंचायत नराणा द्वारा त्रुटि/भूल कारित की गई है। अतः आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 110 निर्णय दिनांक 28/11/2014 अपास्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पीली का चौड़ा पटवार मण्डल ताल नामान्तरकरण संख्या 110 निर्णय दिनांक 28/11/2014 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार देवगढ़ को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि मृतक चतरा पिता कला व गोदासिंह पिता कला के विधिक वारिसान की जांच की जाकर समस्त हितबद्ध पक्षकारान को सुन कर बाद जांच नये सिरे से नामान्तरण की कार्यवाही की जावे। पालनार्थ तहसीलदार देवगढ को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 25/11/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मोहकम सिंह सिनसिनवार R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी देवगढ़
जिला राजसमन्द

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)